7/2/22

पत्रावली पेश हुई।
इसी उनवान का एक वाद निर्णित हो चुका है। वाद निर्णित होने से इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:12:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner